आर्थिक विकास में लेखापालों की भूमिका*

वाई.वी. रेड्डी

प्रतिष्ठित अतिथियों, देवियों और सज्जनों,

मैं इस सम्मानित जनसमूह में आमंत्रित किए जाने के लिए श्री कमलेश विकामसे का आभारी हूँ। यह सम्मेलन हम सब के लिए प्रासंगिक है। केवल इसलिए नहीं कि इस जनसमूह को प्रतिष्ठित वक्ता संबोधित कर रहे हैं बल्कि इसलिए भी कि यह हमारे लेखांकन मानकों के लिए वैश्विक बेंचमार्क की अपनी तलाश में भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा दूसरे देशों के अनुभवों से सार तत्वों को हासिल करने की दिशा में उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है। गंभीर परंतु समकालीन मुद्दों को इस सम्मेलन की कार्यसूची में व्यापकता से शामिल किया गया है। मैं आयोजकों को व्यावसायिक रूप से सक्रिय करने वाले इस उत्सव के आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज अपने भाषण में मैं कुछ सामान्य विचारों के दायरे में ही रहूँगा।

समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण से मोटे तौर पर देखा जाए तो लेखाकरण मानकों की परिधि में वित्तीय स्थिति तथा उनके कार्य-निष्पादन और सभी भावी उपयोगकर्ताओं को कंपनियों के जोखिम प्रोफाइल की अहम रूप से सूचना प्रदान करने की व्यवस्थाएं आती हैं। इसलिए यह वित्तीय आधारभूत संरचना के केंद्रीय तत्वों में से एक है। व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं का कार्य दोहरा होता है। पहला, लेखाकरण मानक आर्थिक संसाधनों के सर्वोत्तम उत्पादक उपयोग की पहचान को सहज बनाकर भावी प्रशस्तियों तथा जोखिमों का मूल्यांकन करने का आधार तैयार करते हैं। दूसरे, यह संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर नियंत्रण की एक सक्षम व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। दोनों को मिलाकर कहा जाए तो यह विभिन्न घटकों के बीच आय का निर्धारण करने तथा वित्तीय अनुशासन रखने का आधार तैयार करता है।

यह विश्वास करना उचित नहीं है कि भले ही कोई लेखाकरण मानक मौजूद न हो लेकिन बाजार की कोई 'अदृश्य भूमिका' हमें अपेक्षित सूचनाएं मुहैया कराएगी। बाज़ार के बारे में पूर्वकल्पित सर्वज्ञता का यह तर्क आगे चलकर इस तथ्य को खंडित कर देता है कि सूचनाएं उत्पन्न करना घातक हो सकता है। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सूचनाएं उत्पन्न करने की लागत निजी है जब कि इससे होने वाले फायदे फैलकर सभी भावी उपयोगकर्ताओं तक पहुँचते हैं जिसके फलस्वरूप पूरी जानकारी न देने की प्रवृत्ति उभरती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वित्तीय असंतुलन पैदा करने के पीछे सूचनाओं के इसी न्यून प्रावधान का हाथ था और इसी के चलते भयावह एशियाई संकट खड़े हुए थे। वास्तव में, एशियाई संकट से आर्थिक विकास के सूक्ष्म और व्यापक पहलुओं के बीच अंतरंग संबंध तथा आर्थिक प्रबंधन के नीतिगत पहलुओं से भिन्न संस्थागत पहलू साफ तौर पर केंद्र में आ गए।

इसलिए, दक्ष पूँजी जुटान तथा सुनिश्चित स्थिरता के साथ दीर्घकालिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में उसके विवेकपूर्ण आबंटन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी बाजार व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से स्थापित की जानी चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रभावी बाजारों के विकास के लिए उच्च स्तरीय बाजार प्रतिभागियों के सहयोग की आवश्यकता है। बिचौलिए, जारीकर्ता, निवेशक, विनियामक तथा व्यावसायिक हमारे वित्तीय बाजारों में विकास की यह गति पैदा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की चुनौतियों के संदर्भ में लेखाकरण का व्यवसाय इस प्रकार एक भरोसे मंद, सम्मानजनक तथा अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण पूरक भूमिका निभाता है, चाहे जिस क्षमता में वे अपनी भूमिका निभाते हों। इसमे केवल लेखा परीक्षक के रूप में ही आपकी भूमिका नहीं बल्कि सलाहकार, परामर्शदाता, निदेशक या कारपोरेट क्षेत्र के सदस्य के रूप में भी आपकी भूमिकाएं शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा करने में लेखाकारों के पास कंपनियों के वित्तीय ताने-बाने का बहुत बारीक ज्ञान होता है। वे कंपनियों के कार्य-निष्पादन के सक्रिय संचालक तत्वों का पता लगाने में सक्षम होत हैं तथा कंपनियों के अवसरों एवं जोखिम प्रोफाइलों का स्वतंत्र तथा वस्तुपरक मूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए समर्थ होते हैं। इस प्रकार उदाहरण के लिए, यदि सटीक वित्तीय रिपोर्ट न हो तो जब तक बैंकों का वित्तीय रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं पर भरोसा न हो, ऋण आबंटन के संबंध में सुविचारित निर्णय करना उनके लिए कठिन होगा। शेयर धारक अपना सुविचारित फैसला करने तथा संसाधनों का कुशलतापूर्वक आबंटन करने में इसी सूचना की गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा वस्तुपरकता पर आश्रित होता है।

हमारे बाजारों में निवेशकों में आत्म-विश्वास पैदा करने के लिए पारदर्शिता अनिवार्य है। ब्रांड में अंतर पैदा करने में सूचना की गुणवत्ता तथा बाजार की विश्वसनीयता सशक्त माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।

---

* सनदी लेखाकार संस्था द्वारा "आर्थिक विकास को सहारा देने में लेखाकरण व्यवसाय की भूमिका" पर 19 जनवरी 2006 को मुंबई में आयोजित सम्मेलन में भारिबैं के गवर्नर डॉ. वाय. वी. रेड्डी द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण ।

यद्यपि, सूचना की गुणवत्ता का किसी उद्यम विशेष पर तात्कालिक एवं दूरगामी प्रभाव पड़ता है, अंततः यह प्रभाव समग्र रूप से बाजार तथा अर्थव्यवस्था में रच-बस जाता है। इसलिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि लेखाकरण व्यवसाय को लगातार यह चुनौती मिल रही है कि वह गुणवत्ता आधारित सूचना की मांग को पूरा करे। सूचनाओं के मुख्य प्रदायक एवं सत्यापनकर्ता के रूप में सहज न्यूनतम आदर्श है : व्यवसाय द्वारा जितनी गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता कायम रखी जाएगी, हमारा बाजार उतना ही मजबूत और लचीला होगा।

वर्तमान में भारत की निवेशक जनता का दृष्टिकोण व्यापक हो गया है और वह पहले से अधिक जागरूक हो गई है। दशकों पुराने अतीत के बंद दरवाजों के पीछे का कोई संकट वर्तमान में प्रायः व्यापक सार्वजनिक चिंता का विषय बना जाता है। हाल के वर्षों में विश्व स्तर पर अग्रणी कारपोरेट संस्थाओं में देखी गई लेखाकरण संबंधी अनियमितताओं ने इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दिया है कि कैसे सटीक, समयबद्ध तथा तुलनीय वित्तीय सूचनाओं का अभाव बाजारों के प्रभावी कामकाज में कितना बड़ा अवरोध खड़ा कर सकता है। हाल के वर्षों में वित्तीय संकटों तथा घोटालों में हुए इजाफे से वित्तीय सूचनाओं में कमियों के दुर्बल करने वाले प्रभाव और अधिक सामान्य रूप से प्रदर्शित हुए हैं। इस प्रकार वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में लेखाकरण संबंधी कार्यों की निष्ठा का महत्व अब भलीभांति मान्य हो गया है। आपके तरह के व्यवसाय संभवतः आत्म-अनुशासन की दिशा में पहल कर सकते हैं। आत्म-विनियमन तथा विनियामक अनुशासन के बीच इस समन्वय के लिए कठोर होना आवश्यक नहीं है बल्कि उच्च स्तरीय व्यावसायिकता तथा निष्ठा प्रेरित करने के लिए उसे लचीला होना चाहिए ताकि पारदर्शिता तथा जवाबदेही में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। भरोसेमंद वित्तीय विवरणों के संग्रह के लिए आधार बनाकर लेखाकरण व्यवसाय बाजार के अनुशासन को सहज बनाता है, विभिन्न जोखिम उठाने वालों में आत्म-विश्वास पैदा करता है तथा भ्रामक सूचनाओं की संभावना को कम करता है जो वित्तीय प्रणालियों को छिन्न-भिन्न कर सकती हैं।

बैंकों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) लेखाकरण व्यवसाय के साथ सक्रिय साझा संबंध रखता है। भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों का प्रत्यक्ष (ऑन-साइट) निरीक्षण तथा प्रौद्योगिकी संचालित परोक्ष (ऑफ-साईट) निगरानी करता है ताकि निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय सूचनाओं की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए लेखाकारों पर निर्भर रहता है। विवेकपूर्ण विनियमनों के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिज़र्व बैंक कमियों की पहचान करते हुए स्थापित लेखाकरण मानकों से अलग हटकर उनमें सुधार को आवश्यक मानता है। यह बैंकों तथा उनके लेखा परीक्षकों के बारे में लेखापरीक्षकों की विशेषज्ञ राय की दरकार रखता है। इससे भारतीय रिज़र्व बैंक को कार्य-निष्पादन के अवरोधकों को पहचानने की बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि प्राप्त होती है जिसका उपयोग बैंकों को सुधारात्मक उपायों से संबंधित सूचना देने में किया जा सकता है।

कुछ अर्से पहले, बैंकों द्वारा भारतीय लेखाकरण मानकों के संबंध में बैंकों के अनुपालन का पता लगाने तथा उनके किसी उल्लंघन को समाप्त करने या कम करने के लिए उपायों की सिफ़ारिश करने के लिए आर बी आई द्वारा भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान के पूर्व अध्यक्ष श्री एन.डी. गुप्ता की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया था। उक्त कार्यदल की सिफ़ारिशों के आधार पर कुछ लेखाकरण मानकों पर मार्च 2003 में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। तत्पश्चात् अप्रैल 2004 में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे ताकि बैंकों द्वारा इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इन सुधारों के कारण आगे चलकर हमारी लेखाकरण संबंधी प्रथाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप हो जाएंगी। इस संदर्भ में मैं पूंजी पर्याप्तता के लिए बासेल - II की संरचना के संभावित कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए लेखाकरण व्यवसाय के बढ़ते हुए महत्व पर विशेष रूप से बल देना चाहूँगा।

भारतीय अथव्यवस्था में खुलापन आने के बाद कंपनियां ऋण एवं इक्विटी दोनों ही माध्यमों के जरिए विदेशी स्रोतों से वित्त प्राप्त कर रही हैं तथा विदेशी जोखिम भी उठा रही हैं। देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ढली हुई सर्वोत्तम लेखाकरण प्रथाओं के मुद्दे का इस संदर्भ में महत्व तथा प्राथमिकता बढ़ गई है। अधिक पारदर्शिता तथा अधिक प्रभावी वित्तीय सूचनाओं की मांग से उन लोगों पर नए सिरे से दबाव बढ़ गया है जो मान्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन मानकों को ठीक से लागू किया जाता है, वित्तीय सूचनाओं को तैयार कर रहे हैं तथा उनका सत्यापन कर रहे हैं। चूँकि भारत की कुछ सॉफ्टवेअर कंपनिया तथा विनिर्माता कंपनिया अब विश्व स्तर पर सर्वोत्तम आंकी जा रही हैं इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक की भी मंशा उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ होने की है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी अपेक्षा है कि भारतीय लेखाकरण व्यवसाय का यदि किसी विशिष्ट पहलू से श्रेष्ठता में अभी तक शुमार न हुआ हो तो अब विश्व के सर्वोत्तम लेखाकरण व्यवसायों में उसका शुमार हो।

आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में लेखाकरण प्रणाली के संबंधित क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानकों तथा संहिताओं को स्थापित करने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में तथा वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में यथोचित परिवर्तनों को कार्यान्वित करने की समग्र प्रक्रिया के मार्गदर्शन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से दिसंबर 1999 में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानक तथा संहिताओं पर एक स्थायी समिति का गठन किया था। उसके बाद, इस समिति ने वित्तीय प्रणाली से संबंधित दस मुख्य विषय क्षेत्रों में परामर्शदात्री समूहों का गठन किया जिनके अंतर्गत मोटे तौर पर वित्तीय स्थिरता मंच द्वारा निर्धारित प्रमुख क्षेत्र आते हैं। इनमें से, लेखाकरण तथा लेखा परीक्षा पर परामर्शदात्री समूह (अध्यक्षः श्री वाई.एच. मालेगाम) ने भारतीय मानकों तथा संबंधित सांविधियों की अंतरराष्ट्रीय मानकों से तुलना की और उनके बीच के अंतर को कम करने की सिफारिशें कीं।

इस संबंध में यह सुखद है कि भारत में लेखाकरण तथा लेखा परीक्षा को अंतरराष्ट्रीय मानकों के परिप्रेक्ष्य में तेजी से बेंचमार्क किया जा रहा है। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान भारतीय लेखाकरण मानकों को अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानकों के समकक्ष बनाने की दिशा में अनवरत प्रयास कर रहा है। रिज़र्व बैंक द्वारा दिसंबर 2004 में की गई परामर्शदात्री समूह की सिफारिशों की एक समीक्षा से यह पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानकों तथा भारतीय लेखाकरण मानकों के बीच का अंतर क्रमिक रूप से कम होता जा रहा है जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना के महत्व को स्वीकार करने के प्रति इस व्यवसाय की दूरदृष्टि झलकती है।

मेरी टिप्पणियों से सिद्ध हो जाएगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान का रिश्ता एक-दूसरे को मजबूत करता है जिससे दोनों एक दूसरे की शक्ति का उपयो करते हुए एक सक्षम तथा स्थायी वित्तीय प्रणाली के निर्माण में अपना योगदान कर सकते हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान के प्रतिनिधित्व वाले एक छोटे समूह का गठन करने का निर्णय किया है जो नियमित अंतरालों पर बैठक कर लेखा परीक्षा प्रारूपों, बैंकों की संगामी लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षकों के पैनल तथा कतिपय लेखाकरण मानकों से जुड़े लंबित मुद्दों का निराकरण कर सकता है।

वक्तव्य समाप्त करने से पहले मैं आर्थिकों सुधारों में लेखा परीक्षकों की भूमिका पर थोड़े शब्दों में कहना चाहूँगा। चूँकि सुधार की प्रक्रिया में तुलन पत्रों में सुधार करने की आवश्यकता पर व्यापक रूप से बल दिया गया था इसलिए यह अत्यंत अनिवार्य है कि वित्तीय विवरणों में इन उपायों की झलक वास्तव में दिखाई पड़े तथा यह सभी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की वास्तविक एवं साफ तस्वीर प्रस्तु करे। यदि तुलन पत्र की सच्चाई सुनिश्चित नहीं की जाती है तो सुधार की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से अधूरी ही रह जाएगी।

हालांकि सामान्य रूप से यह समझा जाता है कि लेखा परीक्षकों की बिरादरी का प्राथमिक दायित्व किसी संस्था के शेयरधारकों के प्रति होता है लेकिन मेरा मानना है कि वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण के माहौल में लेखा परीक्षकों की भूमिका बहुत व्यापक हो गई है। उदाहरणार्थ, उनका शायद बहुत बड़ा दायित्व देश के भीतर जमाकर्ताओं, विनियामकों, बैंकिंग समुदाय जैसे बैंकों के विभिन्न स्टेक होल्डरों तथा घरेलू बाजार के बाहर के बैंकिंग समुदाय के प्रति है जो घरेलू बैंकिंग प्रणाली के साथ बैंकिंग करते हैं। बैंकिंग से जुड़े संबंध रखते हैं; अर्थात इसके परिणामस्वरूप उनका दायित्व घरेलू तथा वैश्विक स्वरूप की समूची प्रणाली के प्रति है। जैसा कि आप भली-भांति जानते हैं कि किसी बैंकिंग संस्था की लेखा परीक्षा का किसी कंपनी की लेखा परीक्षा से विशेष रूप से संबंध होता है क्योंकि बैंकों को सार्वभौमिक रूप से विशेष माना जाता है। किसी कंपनी की लेखा परीक्षा के मामले में पणधारी मुख्य रूप से शेयर धारक ही होते हैं और किसी संकट की स्थिति में उसका परिणाम कुल मिलाकर संबंधित कंपनी तक ही सीमित होगा। किसी बैंकिंग संस्था के मामले में किसी संकट का प्रणालीगत प्रभाव केवल उस बैंकिंग संस्था तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि वह कुछ परिस्थितियों में बदलकर भीषण दुष्परिणामों वाले किसी प्रणालीगत मुद्दे का रूप धारण कर सकता है। अंत में यह कहना समीचीन होगा कि वित्तीय सुधार की प्रक्रिया के सफल कार्यान्वयन की शायद एक महत्वपूर्ण कड़ी बैंकों के लेखा परीक्षकों के साथ जुड़ी है जब वे यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंकों के वित्तीय विवरणों से सच्चाई का उच्चतम स्तर परिलक्षित हो।

मुझे विश्वास है कि कुछ दिनों में इस विचार-विमर्श से उपयोगी अन्तर्दृष्टि प्राप्त होगी जिसका संधान सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए लाभप्रद होगा।

हमें भी आपके विचार-विमर्श से लाभान्वित होने की अपेक्षा रहेगी।

मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ।

धन्यवाद !